संख्या-89/2020/2774/71-1-2020-जी-13/2016टी0सी0-2

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 जुलाई, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़ में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/136, दिनॉक 30-06-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की जॉच एवं इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों के उपचार से पूर्व कोविड-19 संक्रमण की जॉच/पुष्टि किये जाने एवं एम0सी0आई0 मानकों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़ में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा आकलित कुल लागत रू0 113.65 लाख (रू0 एक करोड़ तेरह लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 56.83 लाख (रू0 छप्पन लाख तिरासी हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	धनराशि जो अवमुक्त की जा रही है
1	मेडिकल कालेज, उरई जालौन में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/कार्य।	25.72	12.86
2	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/कार्य।	22.49	11.25
3	मेडिकल कालेज, बॉदा में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/कार्य।	17.03	8.51
4	मेडिकल कालेज, बदायूँ में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/कार्य।	24.93	12.47
5	मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत/कार्य।	23.48	11.74
	योग-	113.65	56.83

2- उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 तथा शासनादेश 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गई व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
8- धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 के प्रतिबंधों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित वित्त नियंत्रक का होगा।

11- नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

12- लागत में परिवर्तन के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 में दी गई व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

13- प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन, मूल्याकंन सिमति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

14- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

15- प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

17- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

18- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19- प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

20- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

21- बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

22- संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

23- प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टयों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाये।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-654/दस-2020, दिनॉक 14 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-89/2020/2774(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
7- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जालौन, अम्बेडकर नगर, बॉदा, बदायूँ तथा आजमगढ़।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।